

19/1/23

27.1.23  
2.8.23 hhl

आदेश का को  
नई कार्यवाई के  
बारे में विभागी  
विधि सहित

27.1.23 प्रथम पक्ष - की हाजरी है।

द्वितीय पक्ष - की हाजरी है।

उभय पक्षों के इलाज एवं भरणपोषण

काय - पूरक से प्रतीत होता है कि

विवाहिक श्रम एवम से संबंधित है,

जिसका निराकरण इस न्यायालय से

संभव नहीं है।

अतः न्यायिक कार्यवाही को समाप्त

कर अभिलेख को संतुष्ट किया जाता है।

27/1/23